भारत सरकार
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 965 जिसका उत्तर
शुक्रवार, 24 जुलाई, 2026/2 श्रावण, 1948 (शक) को दिया जाना है

अंतर्देशीय जलमार्गों का विकास

†965. श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़:
श्री विजय कुमार दूबे:
श्री प्रवीण पटेल:
कैप्टन बृजेश चौटा:
श्री तापिर गाव:
श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी:

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जल मार्ग विकास परियोजना और राष्ट्रीय जलमार्गों के तहत अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास में प्रगति की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने तटीय नौवहन, नदी परिवहन और मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) संभार (लॉजिस्टिक्स) लागत को कम करने और बंदरगाहों को अंतर्देशीय जलमार्गों से जोड़ने में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति की भूमिका का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने सड़क और रेल नेटवर्क की भीड़भाड़ कम होने, पर्यावरणीय लाभ और नीली अर्थव्यवस्था के विकास के संबंध में अपेक्षित परिणामों का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति/अंतर्देशीय जलमार्गों, मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स/तटीय नौवहन/बंदरगाह कनेक्टिविटी के तहत कोई परियोजनाएं शुरू की हैं; और

(च) यदि हां, तो बापतला जिले सहित तत्संबंधी जिला-वार ब्यौरा क्या है तथा इनकी वर्तमान स्थिति और इनसे होने वाले अपेक्षित आर्थिक लाभों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री

(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क): जल मार्ग विकास परियोजना (जेएमवीपी) और राष्ट्रीय जलमार्गों (रा.ज.) के तहत अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास में हुई प्रगति **अनुबंध-I** में दी गई है।

(ख): राष्ट्रीय जलमार्गों, तटीय पोत परिवहन और मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पर अंतर्देशीय जल परिवहन (आईडब्ल्यूटी) को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए अवसंरचनात्मक और नीतिगत उपाय **अनुबंध-II** में दिए गए हैं।

(ग): राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (एनएलपी) का उद्देश्य निर्बाध मल्टीमॉडल परिवहन और एकीकृत लॉजिस्टिक्स योजना को बढ़ावा देकर लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना और दक्षता में सुधार करना है। अंतर्देशीय जलमार्ग क्षेत्र में, यह नीति मल्टीमॉडल टर्मिनलों, अंतिम-मील संपर्कता, डिजिटल एकीकरण और मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्कों के विकास के माध्यम से पत्तनों को राष्ट्रीय जलमार्गों के साथ एकीकृत करने का समर्थन करती है। सरकार पत्तनों, अंतर्देशीय जलमार्गों, रेलवे और सड़क नेटवर्क के बीच निर्बाध कार्गो आवाजाही को सुगम बनाने के लिए मल्टीमॉडल टर्मिनलों, इंटर-मोडल टर्मिनलों, रो-रो/रो-पैक्स सुविधाओं और नौगम्य फेयरवे के विकास जैसी अवसंरचनात्मक परियोजनाओं को क्रियान्वित कर रही है। ये पहल सड़क से जलमार्गों की ओर मोडल शिफ्ट को बढ़ाती हैं, आपूर्ति श्रृंखला की दक्षता में सुधार लाती हैं और कुल लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने में योगदान देती हैं।

(घ): आईडब्ल्यूटी रेल और सड़क का एक वैकल्पिक परिवहन साधन है और यह उन सभी क्षेत्रों में भीड़भाड़ को कम करने में मदद करता है जहाँ नौगम्य जलमार्ग उपलब्ध हैं। कम लागत और कार्बन उत्सर्जन के मामले में सड़क और रेल की तुलना में आईडब्ल्यूटी द्वारा प्रति टन कार्गो की आवाजाही के लाभ **अनुबंध-III** में दिए गए हैं।

(ङ) और (च): पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) ने वर्ष 2014 में राष्ट्रीय जलमार्ग-4 (रा.ज.-4) के विजयवाड़ा-मुक्तयाला जलखंड (82 किमी) में फेयरवे चैनल के विकास का कार्य शुरु किया। कृष्णा नदी (रा.ज.-4) पर मुक्तयाला (एनटीआर जिला) और हरिश्चंद्रपुरम (गुंटूर जिला) में आईडब्ल्यूटी टर्मिनल सुविधाओं के निर्माण का कार्य आबंटित किया गया था और मुक्तयाला में टर्मिनल का कार्य पूरा हो चुका है। इसके अतिरिक्त, आईडब्ल्यूएआई ने कृष्णा और गोदावरी नदियों के साथ एकीकृत काकीनाडा-पुडुचेरी नहर सहित रा.ज.-4 की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को अद्यतन करने का कार्य भी हाथ में लिया है। विजयवाड़ा (प्रकाशम बैराज) से पेडागंजम लॉक (113 किमी) तक फैली कममुरु नहर, बापटला जिले से होकर गुजरती है, जो रा.ज.-4 का एक भाग है और चैन्ने की ओर उत्तर बर्किंघम नहर से जुड़ती है।

इसके अतिरिक्त, सागरमाला योजना के तहत, आंध्र प्रदेश राज्य में तटीय पोत परिवहन और आईडब्ल्यूटी, पत्तन संपर्कता, तटीय समुदाय विकास और पत्तन आधुनिकीकरण के संबंध में ₹ 1286 करोड़ की लागत

वाली 9 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। परियोजनाओं का विवरण और उनकी स्थिति **अनुबंध-IV** में दी गई है। अपेक्षित आर्थिक लाभ, लॉजिस्टिक्स लागत में कमी और दक्षता, रोजगार और कौशल विकास, कृषि और जलीय कृषि उपज की बेहतर निकासी आदि हैं।

अनुबंध-I

दिनांक 24.07.2026 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 965 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

राष्ट्रीय जलमार्गों पर अंतर्देशीय जल परिवहन परियोजनाओं/योजनाओं की प्रगति:

क्रम सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृत लागत (करोड़ में)	30.06.2026 को प्रगति
1	जीएमवीपी-1 (रा.ज.-1) पर गंगा नदी	5061.15	81.97
2	जेएमवीपी-द्वितीय (अर्थ गंगा) (रा.ज. -1) पर गंगा नदी		
3	8 हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कैटामरन जलयान	144	60.91
4	रा.ज.- 2 (ब्रह्मपुत्र नदी) का व्यापक विकास	639.92	99.96
5	पांडु पोर्ट टर्मिनल से रा.रा.-27 तक और रा.ज. -2 पर गुवाहाटी के पांडु में शिप रिपेयर सुविधा के लिए अप्रोच रोड का विकास	419.00	96.84 (सड़क लगभग पूरी की गई)
6	रा.ज.-16 (बराक नदी) का व्यापक विकास	134.72	48.94
7	विभिन्न राज्यों में 23 रा.ज. (चरण-1) (3 मौजूदा और 20 नए रा.ज.) का विकास		
(i)	केरल में रा.ज. -3-वेस्ट कोस्ट कैनाल (कोट्टापुरम - कोल्लम), चंपाकारा और उद्योगमंडल नहरें		
(ii)	रा.ज.-4- कृष्णा नदी (विजयवाड़ा – मुक्तयाला) का हिस्सा आंध्र प्रदेश में		
(iii)	रा.ज.-5- ओडिशा में ब्राह्मणी नदी के धामरा-पारादीप से मंगलागढ़ी होते हुए पंकपाल तक		
(iv)	केरल में रा.ज.-8 (अलप्पुझा-चंगनास्सेरी नहर)		
(v)	केरल में रा.ज.-9 (अलाप्पुझा-अथिरम्पुजा नहर)		
(vi)	महाराष्ट्र में रा.ज.-10 (अंबा नदी)		

(vii)	गोवा में रा.ज.-27 (कंबरजुआ नदी)		
(viii)	महाराष्ट्र में रा.ज.-28 (दाभोल क्रीक वशिष्ठी नदी)	266.06	90.00
(ix)	असम में रा.ज.-31 (धनसिरी नदी)		
(x)	उत्तर प्रदेश और बिहार में रा.ज.-37 (गंडक नदी)		
(xi)	उत्तर प्रदेश और बिहार में रा.ज.-40 (घाघरा नदी)		
(xii)	पश्चिम बंगाल में रा.ज.-44 (इच्छामती नदी)		
(xiii)	महाराष्ट्र में रा.ज.-53 (कल्याण-ठाणे-मुंबई जलमार्ग, वसई क्रीक और उल्हास नदी प्रणाली)		
(xiv)	असम में रा.ज.-57 (कोपिली नदी - बंथाई गांव तिनाली बस स्टॉप से चंद्रपुर नंबर 2 ब्रह्मपुत्र के साथ संगम),		
(xv)	ओडिशा में रा.ज.-64 (महानदी नदी)		
(xvi)	गोवा में रा.ज.-68 (मांडवी नदी)		
(xvii)	गुजरात में रा.ज.-73 (नर्मदा नदी)		
(xviii)	पश्चिम बंगाल में रा.ज.-86- (रूपनारायण नदी)		
(xix)	महाराष्ट्र में रा.ज.-91 (शास्त्री नदी - जयगढ़ क्रीक प्रणाली)		
(xx)	पश्चिम बंगाल में रा.ज.-97 (सुंदरबन जलमार्ग)		
(xxi)	गुजरात में रा.ज.-100 (तापी नदी)		
(xxii)	दिल्ली, मथुरा और वृंदावन में रा.ज.-110 (यमुना नदी)		
(xxiii)	गोवा में रा.ज.-111 (ज़ुआरी नदी)		
8	अन्य 11 राष्ट्रीय जलमार्ग (रा.ज.) अर्थात्; जम्मू और कश्मीर में रा.ज.-26 (चिनाब नदी), रा.ज.-49 (झेलम नदी) और रा.ज.-84 (रावी नदी); लद्दाख में रा.ज.-46 (सिंधु नदी), हिमाचल प्रदेश और पंजाब में रा.ज.-17 (ब्यास नदी) और रा.ज.-98 (सतलज नदी); कर्नाटक में रा.ज.-51 (काबिनी नदी), रा.ज.-52 (काली नदी),	242.74	23.19

	रा.ज.-90 (शरावती नदी) और रा.ज.-105; और ओडिशा में रा.ज.-14 (बैतरणी नदी)।		
कुल		6907.59	

अनुबंध-II

24.07.2026 के लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 965 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

सरकार द्वारा रा.ज. पर अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देने, तटीय पोत परिवहन और मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पर उठाए गए अवसंरचनात्मक और नीतिगत उपाय:

1. अवसंरचनात्मक उपाय:

(i) 5 पूर्व-मौजूदा स्थायी टर्मिनलों के अलावा रा.ज.-1 पर 66 सामुदायिक जेट्टियां, 20 फ्लोटिंग टर्मिनलों, 3 मल्टी-मॉडल टर्मिनलों (एमएमटी), 1 इंटर-मॉडल टर्मिनल (आईएमटी) और 4 रो-पैक्स टर्मिनलों का निर्माण किया गया है।

(ii) पांडु, जोगीघोपा में एमएमटी के साथ रा.ज.-2 पर 13 फ्लोटिंग टर्मिनलों और बोगीबील एवं धुबरी में टर्मिनलों का प्रावधान किया गया है। जोगीघोपा, पांडु, विश्वनाथ घाट और नेमाती में क्रूज जलयानों के लिए चार समर्पित जेट्टी प्रदान की गयी हैं। इसके अलावा, असम में सादिया, लाइका और ओरियम घाट पर क्रूज और यात्रियों के लिए जेट्टी का निर्माण किया गया है।

(iii) रा.ज.-16 पर बदरपुर और करीमगंज में 2 मौजूदा टर्मिनलों को उन्नत/नवीनीकृत किया गया और आईबीपी मार्ग पर त्रिपुरा में गुमती नदी पर सोनामुरा में 1 टर्मिनल का निर्माण किया गया है।

(iv) केरल में रा.ज.-3 पर गोदामों सहित 9 स्थायी आईडब्ल्यूटी टर्मिनल और 2 रो-रो/रो-पैक्स टर्मिनलों का निर्माण किया गया है।

(v) गोवा सरकार को 4 फ्लोटिंग कंक्रीट जेट्टियां प्रदान की गई और रा.ज.-68 पर स्थापित की गई हैं।

(vi) आंध्र प्रदेश में रा.ज.-4 पर 4 पर्यटक जेट्टियां शुरू की गई है और उत्तर प्रदेश में मथुरा-वृंदावन खंड में रा.ज.-110 पर 8 फ्लोटिंग जेट्टियां, रा.ज.-73 पर 2 जेट्टियां और बिहार में रा.ज.-37 पर 2 जेट्टियां स्थापित की गई हैं।

(vii) फरक्का में एक नया नौगमय लॉक बनाया गया है।

(viii) जलयानों के सुचारू और तेज आवागमन को सुगम्य बनाने के लिए रा.ज.-1 पर 2 क्विक पोंटून ओपनिंग मैकेनिज्म (क्यूपीओएम) का निर्माण किया गया है।

(ix) जलयानों के प्रचालन के लिए 35/45 मीटर चौड़ाई और 2.0/2.2/2.5/3.0 मीटर न्यूनतम उपलब्ध गहराई (एलएडी) का नौचालन चैनल प्रदान करने के लिए विभिन्न राष्ट्रीय जलमार्गों में फेयरवे रखरखाव कार्य (नदी प्रशिक्षण, रखरखाव ड्रेजिंग, चैनल मार्किंग और नियमित हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण) शुरू किए गए हैं।

2. नीतिगत उपाय:

- **जलवाहक योजना:** सरकार द्वारा कार्गो स्वामियों के बीच अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन (आईडब्ल्यूटी) क्षेत्र के उपयोग को प्रोत्साहित करने तथा अंतर्देशीय और तटवर्ती नौवहन लिमिटेड (आईसीएसएल) द्वारा भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल (आईबीपी) मार्ग के माध्यम से राष्ट्रीय जलमार्ग-1 राष्ट्रीय जलमार्ग-2 तथा राष्ट्रीय जलमार्ग-16 पर कार्गो परिवहन हेतु निर्धारित सेवा के संचालन को बढ़ावा देने के लिए 35% प्रोत्साहन प्रदान करने की एक योजना को सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है। यह योजना तीन वर्ष की अवधि के लिए 95.42 करोड़ रुपये की लागत से कार्यान्वित की जा रही है।

- **टनेज कर:** दिनांक 01.02.2025 को प्रस्तुत केंद्रीय बजट में, भारतीय पोत अधिनियम, 2021 के अंतर्गत पंजीकृत अंतर्देशीय पोतों तक टनेज कर योजना का विस्तार करने की घोषणा की गई। इससे अंतर्देशीय जलमार्गों (एनडब्ल्यू), नदियों तथा नहरों पर संचालित अंतर्देशीय जलयानों को लाभ प्राप्त होगा। यह कदम अंतर्देशीय जलमार्गों का परिवहन के लिए उपयोग करने हेतु अधिक कार्गो स्वामियों को प्रोत्साहित करेगा तथा औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने का अनुमान है। टनेज कर प्रणाली नौवहन कंपनियों के लिए एक विशेष कराधान व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत कर का निर्धारण वास्तविक लाभ के आधार पर न होकर जलयान के टनभार (टनेज) के आधार पर किया जाता है। यह व्यवस्था पोत स्वामियों को स्थिर, पूर्वानुमेय तथा अपेक्षाकृत कम कर दायित्व प्रदान करती है, जिससे उन पर पड़ने वाला वित्तीय भार कम होता है।

- **राष्ट्रीय जलमार्ग (जेट्टियों/टर्मिनलों का निर्माण) विनियम, 2025** अधिसूचित कर दिए गए हैं। इन विनियमों के माध्यम से निजी कंपनियों को अंतर्देशीय जलमार्ग अवसंरचना में निवेश करने तथा उसका परिचालन करने की अनुमति प्रदान की गई है। साथ ही, अंतर्देशीय जलमार्ग क्षेत्र के विकास को सुगम बनाने हेतु निजी क्षेत्र के निवेश को आकर्षित करने के लिए एक स्पष्ट विनियामक ढांचा भी उपलब्ध कराया गया है।
- **जलयान एवं नाविक:** अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन (आईडब्ल्यूटी) क्षेत्र में कारोबार सुगमता (ईज ऑफ डूयींग बिजनेस) को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, 'वाहन' **एवं** 'सारथी' की तर्ज पर देशभर में पोतों तथा चालक दल के पंजीकरण के लिए एक केंद्रीय डेटाबेस एवं पोर्टल विकसित किया गया है। यह पोतों एवं चालक दल के डिजिटल पंजीकरण को सुगम बनाएगा तथा देश में पंजीकृत पोतों एवं चालक दल की संख्या संबंधी सटीक एवं अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराएगा, जिससे नीति-निर्माण एवं योजनाओं के प्रभावी नियोजन में सहायता मिलेगी।
- **कार्गो समेकन:** जलमार्गों पर कार्गो परिवहन को जलमार्गों के किनारे उद्योगों के अभाव के कारण बहु-माध्यमीय परिवहन संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अतः कार्गो समेकन केंद्रों के विकास के लिए वाराणसी में बहु-माध्यमीय लॉजिस्टिक्स पार्क तथा साहिबगंज में एकीकृत क्लस्टर-सह-लॉजिस्टिक्स पार्क की परियोजनाएँ आरंभ की गई हैं। इन एमएमएलपी के विकास हेतु सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड को कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। तीन एमएमटी के लिए रेल संपर्कता का काम मेसर्स इंडियन पोर्ट एंड रेल कंपनी लिमिटेड (एमओपीएसडब्ल्यू के तहत एक पीएसयू) को सौंपा गया है।

- **आईबीपी मार्ग:** भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल (आईबीपी) मार्ग संख्या 5 एवं 6 पर माइया और सुल्तानगंज के मध्य जलमार्ग को हाल ही में सफल परीक्षण परिचालन के उपरांत परिचालनात्मक बना दिया गया है।
- **सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा कार्गो परिवहन का स्थानांतरण:** कार्गो को जलमार्गों से भेजने की व्यवस्था (मोडल शिफ्ट) के लिए, 140 से ज़्यादा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम से संपर्क किया गया है ताकि वे आईडब्ल्यूटी मोड का प्रयोग करके अपने सामान की आवाजाही की योजना बना सकें। उनसे जलमार्गों से कार्गो की आवाजाही की मौजूदा स्थिति और कार्गो के परिवहन के तरीके में बदलाव (मोडल शिफ्ट) की अपनी योजना बताने का अनुरोध किया गया है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, सहकारिता, उर्वरक, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, भारी उद्योग, इस्पात और कोयला मंत्रालयों से कहा गया है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को परामर्श दें कि वे जहाँ तक संभव हो आईडब्ल्यूटी मोड का इस्तेमाल करें और एमआईवी लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए अपने कार्गो का एक निश्चित प्रतिशत आईडब्ल्यूटी मोड के लिए तय करें।
- तटीय नौवहन से संबंधित आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अद्यतन घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विनियामक ढांचा उपलब्ध कराने हेतु **तटीय नौवहन अधिनियम, 2025** अधिनियमित किया गया है। इस अधिनियम का उद्देश्य अनुपालन संबंधी बोझ को कम करना तथा भारत में कारोबार सुगमता को और अधिक बढ़ावा देना भी है। इसके लिए बदलती हुई घरेलू नीतियों तथा वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप पोतों को चार्टर पर लेने के लिए पात्र संस्थाओं की सूची का विस्तार किया गया है। यह अधिनियम 15.03.2026 से प्रभावी हो गया है। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय बजट 2026–27 में वर्ष 2047 तक अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन एवं तटीय नौवहन की संयुक्त हिस्सेदारी को 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत करने के उद्देश्य से *तटीय माल संवर्धन योजना* प्रारंभ करने की घोषणा की गई है।

अनुबंध- III

24.07.2026 के लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 965 के भाग (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

सड़क और रेल की तुलना में आईडब्लयूटी द्वारा प्रति टन कार्गो की आवाजाही से लाभ

(i) परिवहन के मितव्ययी साधन (2014 के मूल्य स्तर पर):

साधन	**किराया (रुपए/टीकेएम)**
रेल	1.36
राजमार्ग	2.50
आईडब्ल्यूटी	1.06

स्रोत: रेल- रेल मंत्रालय, सड़क- टीटीएसएस, आईडब्ल्यूटी –आईडब्लूएआई

(ii) परिवहन के पर्यावरण के अधिक अनुकूल साधन

विचार किए गए कारक	**विचार किए गए मूल्य (रुपए/टीकेएम)**		
	जलमार्ग	**सड़क**	**रेल**
जीएचजी का उत्सर्जन	0.0006	0.0031	0.0006

स्रोत: 12वीं पंचवर्षीय योजना

(iii) परिवहन का कम प्रदूषणकारी साधन

विचार किए गए कारक	**विचार किया गया मूल्य (रुपए/टीकेएम)**			**स्रोत**
	जलमार्ग	**सड़क**	**रेल**	
वायु प्रदूषण	0.03	0.202	0.0366	योजना आयोग: टीटीएस अध्ययन
ध्वनि प्रदूषण	नगण्य	0.0032	0.0012	स्थायी अंतर्राष्ट्रीय नौचालन कांग्रेस संघ (पीआईएएनसी)
मृदा और जल प्रदूषण	नगण्य	0.005	नगण्य	पीआईएएनसी

अनुबंध-IV

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 965 के भाग (ङ से च) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध, जिसका उत्तर 24.07.2026 को दिया जाना है

आंध्र प्रदेश में सागरमाला-वित्तपोषित परियोजनाओं की सूची:

क्रम सं.	परियोजना का नाम	कार्यान्वयन एजेंसी	स्थिति	जिला	परियोजना लागत (करोड़ रु. में)	एमओपीएसडब्ल्यू का हिस्सा (करोड़ रु. में
1	विशाखापट्टनम पत्तन पर तटीय बर्थ का निर्माण	विशाखापट्टनम पत्तन प्राधिकरण (वीपीए)	पूर्ण	विशाखापट्टनम	43	30
2	कॉन्वेंट जंक्शन को पार करते हुए रा.रा.-7 क्षेत्र से पत्तन संपर्कता सड़क तक ग्रेड सेपरेटर का निर्माण, - विशाखापट्टनम पोर्ट	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई)	पूर्ण	विशाखापट्टनम	60	23.17
3	रा.रा. - 5 - चरण II के लिए पत्तन सड़क संपर्कता का 2 से 4 लेन का विस्तार	एनएचएआई	पूर्ण	विशाखापट्टनम	77.00	20.00
4	मैरीटाइम और शिपबिल्डिंग में उत्कृष्टता केंद्र – सीईएमएस – एपी - आंध्र प्रदेश में 24 में से 18 प्रयोगशालाएं	भारतीय शिपिंग रजिस्टर (आईआरएस)	पूर्ण	विशाखापट्टनम	574.00	36.76
5	तटीय जिला कौशल विकास कार्यक्रम - चरण I - आंध्र प्रदेश	ग्रामीण विकास मंत्रालय (डीडीयू-जीकेवाई)	पूर्ण	एकाधिक जिले	0.14	0.14

क्रम सं.	परियोजना का नाम	कार्यान्वयन एजेंसी	स्थिति	जिला	परियोजना लागत (करोड़ रु. में)	एमओपीएसडब्ल्यू का हिस्सा (करोड़ रु. में
6	एसपीएसआर नेल्लोर जिला, आंध्र प्रदेश में जुव्वालादिन में मत्स्यन हार्बर का विकास	आंध्र प्रदेश मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एपीएमआईडीसीएल)	पूर्ण	नेल्लोर	288	69.14
7	पूर्वी गोदावरी जिले, आंध्र प्रदेश में काकीनाडा एंकरेज पत्तन की अवसंरचना में सुधार	आंध्र प्रदेश समुद्री बोर्ड	पूर्ण	काकीनाडा	85.83	36.67
8	विशाखापट्टनम मत्स्यन हार्बर का आधुनिकीकरण	वीपीए		विशाखापट्टनम	178.51	50.00
9	तटीय जिला कौशल विकास कार्यक्रम - चरण 2 - आंध्र प्रदेश	ग्रामीण विकास मंत्रालय (डीडीयू-जीकेवाई)	कार्यान्वयनाधीन	एकाधिक जिले	5.98	5.98
